

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र,

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2021

विषय:- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, सोनभद्र में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक-2720/दौ०आ०सहा-जि०आ०प्र०प्रा०/मानदेय/2021-22, दिनांक 22 मई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की सुदृढ़ीकरण हेतु (के.-100/रा.-0-के.)-07 मानदेय" मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जनपद सोनभद्र में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) को माह जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक के मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में **रूपये 2,10,000/- (रूपये दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि**, निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि 2,10,000/-(रु० दो लाख दस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.-100/रा.-0-के.) 07-मानदेय " के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या: 994 (1)/एक-10-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपित- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- राजस्व अनुभाग-6/11
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।